

पत्तन प्रबंध बोर्ड
PORT MANAGEMENT BOARD
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह
ANDAMAN & NICOBAR ISLANDS

No.191/CRS/PMB/PART-II/

Port Blair, Dated the 01.06.2017

PUBLIC AUCTION NOTICE

On behalf of President of India, the Chief Port Administrator, Port Management Board will conduct a public auction on 30.06.2017 at 1000 hrs in the premises of the Port Management Board, Administrative office building, Phoenix Bay , Port Blair for the **“Disposal of unclaimed/uncleared items lying at Haddo Wharf”**.

The list of goods/items proposed to be auctioned is as under:-

| Sl.No | Description of items | Approx Qty | Approx Weight |
|-------|------------------------------|------------|---------------|
| 1. | Carton Hardware/ Machinery | 17 | 1.400 MT |
| 2. | MS Pipe | 78 | 69.300 MT |
| 3. | Iron plates | 14 | 0.090 MT |
| 4. | Tube in gunny bags | 08 | 0.220 MT |
| 5. | Iron rods(8") | 07 | 0.050 MT |
| 6. | Syntax 500 Ltrs | 03 | 0.045 MT |
| 7. | Aluminium pipe (Tent fitter) | 34 | 0.030 MT |
| 8. | Light bulb tomb (Aluminium) | 02 | 0.010 MT |
| 9. | Shutter(scrap) | 01 set | 0.072 MT |
| 10. | Old truck tyre disc | 05 | 0.150 MT |
| 11. | Plastic drums (scrap+good) | 148 | 0.300 MT |
| 12. | Rope net sling | 13 | 0.100 MT |
| 13. | Net | 10 | 0.150 MT |
| 14. | Empty cane(plastic) | 10 | 0.050 MT |
| 15. | Cane | 23 | 0.075 MT |
| 16. | Iron drum | 03 | 0.060 MT |
| 17. | Iron rod | 15 pcs | 0.050 MT |
| 18. | Hose pipe | 02 | 0.010 MT |
| 19. | Spun pipe | 02 | 0.010 MT |
| 20. | Air tank | 02 | 0.020 MT |
| 21. | Fuel tank | 02 | 0.020 MT |
| 22. | Iron kadai | 15 | 0.075 MT |
| 23. | Wooden box | 01 | 0.050 MT |
| 24. | Iron scrap | Loose | 2.000 MT |
| 25. | Plastic Can | 38 | 0.075 MT |
| 26. | Fire extinguisher | 05 | 0.050 MT |
| 27. | Broken container | 01 | 0.850 MT |
| 28. | Scrap car chassis | 01 | 0.300 MT |
| 29. | Iron plate | 03 | 0.700 MT |
| 30. | Iron beam | 01 | 0.280 MT |

| | | | |
|-----|--|--------|----------|
| 31. | Iron scrap | Loose | 4.300 MT |
| 32. | Iron scrap | Loose | 0.290 MT |
| 33. | Broken container | 01 | 0.320 MT |
| 34. | Old iron beam | 01 | 0.330 MT |
| 35. | Old iron beam | 01 | 0.310 MT |
| 36. | Iron angles | 38 Pcs | 6.810 MT |
| 37. | Iron scrap | Loose | 1.000 MT |
| 38. | Scrap car Chassis | 01 | 0.130 MT |
| 39. | Old& used circus materials | A lot | 7.800 MT |
| 40. | Circus Bike | 03 | |
| 41. | Old jeep | 03 | 2.000 MT |
| 42. | Tipper Truck | 01 | 1.000 MT |
| 43. | Old unserviceable spreader (size 20ft) | | 2.000 MT |
| 44. | Old unserviceable spreader (size 40ft) | | 2.500 MT |
| 45. | Iron Scrap (Assorted) | | 6.000 MT |
| 46. | MS Pipe Scrap | | 0.500 MT |
| 47. | Old unserviceable container | 01 | 1.500 MT |
| 48. | Boat trolley with wheel | | 0.500 MT |
| 49. | PVC Pipe (Dia 8" & 6") | 40 | 0.200 MT |
| 50. | Steel barrel (200 ltr. Capacity) | 45 | 0.900 MT |

TERMS & CONDITIONS:-

1. All the unclaimed/uncleared items lying at Haddo Wharf detailed above will be auctioned for disposal on "As is where is" basis. The Items can be inspected before two days from the date of auctioning between 0900 hrs to 1700 hrs at the Haddo Wharf (Except Sunday & Holiday) prior inspection the bidder is required to obtain permission from Manager (Cargo Operations), Port Management Board. The bidders/representatives coming for inspection are required to sign the register available with security staff at site after inspection of Items.
2. The intending bidder, may inspect the items and satisfy themselves before participating in the auction. The bidder deemed to have thoroughly inspected and examined the items and satisfied themselves before participating in the auction as to the nature of the work (so far as is practicable), the form and nature of the work, the means of access etc. In general shall themselves obtained all necessary information as to risks, contingencies and other circumstances which may influence or affect their bidding. The bidder deemed to have full knowledge of the items whether he inspects it or not and no alteration consequent on any misunderstanding or otherwise shall be allowed.
3. Each bidder will have to deposit Rs 63,118/- (Rupees Sixty three thousand one hundred and eighteen only) being the bid security in the form of call deposit / Demand draft drawn in favour of Accounts Officer, Port Management Board, Port Blair on any working day. The bid security shall be deposited to Accounts Officer or to his authorized representative from 0900 hrs to 1700 hrs on or before 29.06.2017 and get himself registered his name so as to enable to participate in the auction. Bidder, who fails to deposit the above bid security in time, will not be permitted to participate in the auction.

4. The successful highest bidder has to deposit 25% (Twenty five percent) of the accepted bid amount immediately (which is exclusive of Bid Security of Rs 63,118/- (Rupees Sixty three thousand one hundred and eighteen only) at the call of the hammer either in cash or in the form of Deposit at Call Receipt (DACR)/Demand Draft drawn in favour of the Accounts Officer, PMB, Port Blair. The successful bidder will be permitted to deposit the Earnest money (25% of the bid amount) latest by 1700 hrs on the same day. If the successful bidder fails to deposit the Earnest money his bid will be cancelled and bid security of Rs 63,118/- (Rupees Sixty three thousand one hundred and eighteen only) will be forfeited to Government
5. The bid security of the unsuccessful bidders will be released immediately after conclusion of bidding by the Accounts officer, Port Management Board, Port Blair or by his authorized representative.
6. The balance accepted bid amount (i.e. 75%) shall be deposited by the successful bidder in the form of Demand draft drawn from any nationalized bank in favour of Accounts officer, Port Management Board, Port Blair within 7(seven) days from the issuance of formal acceptance letter, failing which the 25% of the accepted bid amount deposited will be forfeited to Government.
7. After deposit of the full bid amount, letter permitting the successful bidder to remove/lift the items will be issued and thereafter the successful bidder will be permitted to take away the items.
8. The removal of the items will only be permitted at his own cost during 0900 hrs to 1700 Hrs on any working day without causing hindrance to the Port operations. The lifting of the materials must be done only in the presence of the authorized representative of this Board. The bidder should give proper acknowledgement to the authorized representative of this Board in receipt of items prior to shifting/transport of the items from stack yard.
9. The complete items must be removed in all respect within 15 (Fifteen) days from the date of formal letter of permission to removal/lift the auctioned items, failing which the department will not be held responsible for the loss/damages to any auctioned materials.
10. In case the highest bidder is unable to lift the material within specified period of 15(fifteen) days. Liquidated damages @ Rs.5000/- (Rupees Five thousand only) per day will be levied being the ground rent from the successful bidder for delay in removing the items beyond 15 (fifteen) days from the date of issuance of letter of permission, subject to maximum of 07(seven days). Maximum permissible delay of 15(Fifteen) days will be allowed, Subject to force majeure i.e. reasons attributable beyond the control of bidder. Thereafter, the total deposited bid amount along with the Bid Security with held by this Board shall be forfeited to the Government.

11. In case the successful bidder fails to remove the items as per the terms and condition of auction, this Board will have the right to re-sale the goods at the risk and cost of the defaulter (successful bidder). The successful bidder will not have any right of claim on the goods so auctioned.
12. No complaint about the quantity, quality or condition of the materials will be entertained. The materials would be handed over to the highest bidder on "As is where is basis". The Port Management Board shall not be responsible for their usefulness or quality.
13. The rights to accept or reject the highest offer finally vests with the Chief Port Administrator, Port Management Board, A&N islands.
14. In case of any dispute, the decision of the Chief Port Administrator, Port Management Board will be final and binding.
15. The highest bidder shall have to make his own arrangements for transportation, loading/unloading and permit (if required) etc., after acceptance of his bid. The bidder shall have to pay all the local taxes, sale tax, surcharge, Service tax (including Swatchch Bharat cess) or any other tax with the concerned authorities, if applicable, in addition to the accepted bid amount offered.
16. While lifting the material the highest bidder shall not cause any damage to the port infrastructure. It should also be ensured that there is no damage to environment. In case of any damage, the responsibility will rest with the bidder and the same shall be made good by the bidder at his own cost.
17. There shall be no other liability on the part of PMB and all obligations in this regard shall be the sole liability of the successful bidder. Any amount of claim/compensation on that account as may be payable, shall be the liability of the successful bidder solely and PMB shall in no way be responsible for any misdeeds of the successful bidder with regard to violation if any.
18. **Tools and plants :**
The contractor shall be responsible for arranging and maintaining at his own cost all materials, tools and plants, facilities for workers and all other services required for executing the work. Participation of bidder implies that he has read this notice and all other contract documents and has made himself aware of the scope and specification of the materials and condition of the materials and rates at which stores, tools and plants etc. will be issued to him by the PMB and local conditions and other factors having a bearing on the execution of the work.

19. **Accident, Safety & Insurance :**

The safety, insurance of both men and materials are the sole responsibility of the Bidder. Any loss of life, materials property etc and also the accident thereof to both workers and materials are to be wholly borne by the bidder. The compensation thereto to the workers, in the accident occurred in the site or while execution of the work etc. is to be wholly borne by the successful bidder.

Port Management Board must not be held responsible for loss of life or property or safety of the workers, machinery and equipment at sea and land.

20. The Chief Port Administrator reserves the right to accept or reject any bid or all the bids without assigning any reasons thereof.

Chief Port Administrator

पत्तन प्रबंध बोर्ड
अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

सं. 191/सीआर/प.प्र.ब./

पोर्ट ब्लेयर दिनांक 01.06.2017

सार्वजनिक नीलामी सूचना

भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड द्वारा "हैडो वार्फ में पड़े लावारिस वस्तुओं का निपटान" करने के लिए पत्तन प्रबंध बोर्ड, प्रशासनिक कार्यालय भवन, फोनिक्स बे, पोर्ट ब्लेयर के परिसर में दिनांक 30.06.2017 को पूर्वाह्न 10.00 बजे को सार्वजनिक नीलामी जाएगी।

नीलामी की जाने वाली वस्तुओं की सूची निम्नलिखित है:-

| क्रम.सं. | मदों का विवरण | अनुमानित मात्रा | अनुमानित भार |
|----------|--------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1. | कार्टून हार्ड वेयर/मशीनरी | 17 | 1.400 मीटरी टन |
| 2. | एम एस पाइप | 78 | 69.300 मीटरी टन |
| 3. | आयरन प्लेटें | 14 | 0.090 मीटरी टन |
| 4. | गन्नी बैग में ट्यूब | 08 | 0.220 मीटरी टन |
| 5. | लोहे की छड़ (8") | 07 | 0.050 मीटरी टन |
| 6. | सिन्टैक्स 500 लीटर | 03 | 0.045 मीटरी टन |
| 7. | एलुमिनियम पाइप(टेंन्ट फिटर) | 34 | 0.030 मीटरी टन |
| 8. | लाइट बल्ब टॉम (एलुमिनियम) | 02 | 0.010 मीटरी टन |
| 9. | शटर (स्कैप) | 01 सैट | 0.072 मीटरी टन |
| 10. | पुराने ट्रक टायर डिस्क | 05 | 0.150 मीटरी टन |
| 11. | प्लास्टिक ड्रम (स्कैप + वस्तु) | 148 | 0.030 मीटरी टन |
| 12. | रस्सी नेट स्लिंग | 13 | 0.100 मीटरी टन |
| 13. | नेट | 10 | 0.150 मीटरी टन |
| 14. | खाली केन (प्लास्टिक) | 10 | 0.050 मीटरी टन |
| 15. | केन | 23 | 0.075 मीटरी टन |
| 16. | आयरन ड्रम | 03 | 0.060 मीटरी टन |
| 17. | लोहे की छड़ रोड | 15 टुकड़े | 0.050 मीटरी टन |
| 18. | होस पाइप | 02 | 0.010 मीटरी टन |
| 19. | स्पन पाइप | 02 | 0.010 मीटरी टन |
| 20. | एयर टैंक | 02 | 0.020 मीटरी टन |
| 21. | फ्यूल टैंक | 02 | 0.020 मीटरी टन |
| 22. | लोहे की कड़ाई | 15 | 0.075 मीटरी टन |
| 23. | लकड़ी का बक्सा | 01 | 0.050 मीटरी टन |
| 24. | लोहा स्कैप | लूज़ | 0.850 मीटरी टन |
| 25. | प्लास्टिक केन | 38 | 0.075 मीटरी टन |
| 26. | अग्निशामक | 05 | 0.075 मीटरी टन |
| 27. | टूटा हुआ कन्टेनर | 01 | 0.850 मीटरी टन |
| 28. | स्कैप कार चेसिस | 01 | 0.300 मीटरी टन |
| 29. | लोहे की प्लेट | 03 | 0.700 मीटरी टन |
| 30. | लोहे के खम्बे | 01 | 0.280 मीटरी टन |
| 31. | लोहा स्कैप | लूज़ | 4.300 मीटरी टन |
| 32. | लोहा स्कैप | लूज़ | 0.290 मीटरी टन |
| 33. | टूटा हुआ कन्टेनर | 01 | 0.320 मीटरी टन |
| 34. | पुराने लोहे के खम्बे | 01 | 0.330 मीटरी टन |
| 35. | पुराने लोहे के खम्बे | 01 | 0.310 मीटरी टन |

| | | | |
|-----|---|-----------|----------------|
| 36. | लोहे के एंगल्स | 38 टुकड़े | 6.810 मीटरी टन |
| 37. | लोहा स्कैप | लूज़ | 1.000 मीटरी टन |
| 38. | स्कैप कार चेसिस | 01 | 0.130 मीटरी टन |
| 39. | पुराना तथा उपयोग किया गया सर्कस सामग्री | ए लोट | 7.800 मीटरी टन |
| 40. | सर्कस बाइक | 03 | |
| 41. | पुराना जीप गाड़ी | 03 | 2.000 मीटरी टन |
| 42. | टीप्पर ट्रक | 01 | 1.000 मीटरी टन |
| 43. | पुराने अनसर्विसेबल स्प्रेडर (स्डिज 20 फीट) | | 2.000 मीटरी टन |
| 44. | पुराने अनसर्विसेबल स्प्रेडर (स्डिज 40 फीट) | | 2.500 मीटरी टन |
| 45. | लोहा स्कैप (मिलाजुला) | | 6.000 मीटरी टन |
| 46. | एम एस पाइप स्कैप | | 0.500 मीटरी टन |
| 47. | पुराने अनसर्विसेबल कन्टेनर | 01 | 1.500 मीटरी टन |
| 48. | बोट ट्रौली समेत वील | | 0.500 मीटरी टन |
| 49. | पिविसि पाइप (डया = 8" और 6") | 40 | 0.200 मीटरी टन |
| 50. | स्टील बेरल (200 लीटर) | 45 | 0.900 मीटरी टन |

निबंधन व शर्तें

1. हैडो वार्फ में सभी लावारिस वस्तुओं का निपटान करने के लिए "जैसे है और जहाँ है" के आधार पर नीलामी की जाएगी। बोलीकर्ता को वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिए नीलामी की तिथि के दो दिन पहले 0900 बजे से 1700 बजे तक प्रबंधक (कार्गो ऑपरेशन), पतन प्रबंध बोर्ड से पूर्ण निरीक्षण के लिए अनुमति लेना होगा। वस्तुओं का निरीक्षण करने के बाद निरीक्षण में आने वाले बोलीकर्ता/प्रतिनिधियों को सुरक्षा कर्मचारी के पास उपलब्ध रजिस्टर में हस्ताक्षर करना आवश्यक है।
2. नीलामी में भाग लेने से पहले इच्छुक बोलीकर्ता खुद की संतुष्टि के लिए वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली लगाने वालों को वस्तुओं का अच्छी तरह से निरीक्षण तथा जाँच करना होगा तथा नीलामी में भाग लेने से पहले कार्य की प्रकृति (यथासाध्य), फार्म तथा कार्य की प्रकृति, पहुँचने का साधन आदि से अपने आप को आश्वस्त करना होगा। सामान्य रूप से जोखिम, आकस्मिक व्यय और अन्य परिस्थितियों, जो बोली को प्रभावित कर सकते हैं, का सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करना होगा। बोली लगाने वाले को वस्तुओं के बारे में सम्पूर्ण जानकारी रखना होगा चाहे वह निरीक्षण किया हो या नहीं किया हो। किसी भी गलतफहमी पर बदलाव की अनुमति नहीं होगी।
3. प्रत्येक बोलीकर्ता को किसी भी कार्य दिवसों के दौरान लेखा अधिकारी, पतन प्रबंध बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के पक्ष में कॉल डिपोजित/डिमांड ड्राफ्ट के रूप में 63,118/-रुपये (तेरेसठ हजार एक सौ अटारह रुपये मात्र) की बोली जमानत के रूप में जमा करना होगा। बोली की जमानत दिनांक 29.06.2017 को या उसके पहले 0900 बजे से 1700 बजे तक लेखा अधिकारी व अधिकृत प्रतिनिधि के पक्ष में जमा किया जा सकता है तथा नीलामी में भाग लेने के लिए अपना नाम का पंजीकरण भी करना होगा। जो बोलीकर्ता समय पर उक्त बोली की जमानत राशि जमा करने में असफल रहता है उन्हें नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4. सफल उच्च बोलीकर्ता को तुरन्त लेखा अधिकारी, पत्तन प्रबंध बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के पक्ष में नकद या कॉल रसीद जमा के रूप में (डी.ए.सी.आर/डिमांड ड्राफ्ट लेकर स्वीकृत बोली की राशि का 25% (पच्चीस प्रतिशत) जमा करना होगा। (जो 63,118/- रुपये (तेरेसठ हजार एक सौ अटारह रुपये मात्र) बोली जमानत राशि के अतिरिक्त होगी) सफल बोलीकर्ता को उसी दिन 1700 बजे तक बयाना राशि (बोली की राशि का 25%) जमा करना होगा। यदि सफल बोलीकर्ता बयाना राशि जमा करने में चूक करता है तो उसकी बोली को रद्द कर दिया जाएगा और 63,118/-रुपये (तेरेसठ हजार एक सौ अटारह रुपये मात्र) जमानत राशि सरकार के पास जब्त कर दी जाएगी।
5. लेखा अधिकारी, पत्तन प्रबंध बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर व उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा असफल बोलीकर्ता की बोली जमानत बोली प्रक्रिया की समाप्ति के तुरन्त बाद जारी की जाएगी।
6. सफल बोलीकर्ता की शेष बोली राशि (अर्थात 75%) को औपचारिक स्वीकृति पत्र जारी करने के 07 (सात) दिनों के भीतर किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में लेखा अधिकारी, पत्तन प्रबंध बोर्ड, पोर्ट ब्लेयर के पक्ष में जमा करना होगा, असफल होने पर स्वीकृत बोली राशि, जो 25% है और बोली जमानत राशि उसे सरकार द्वारा जब्त की जाएगी।
7. बोली की पूरी राशि को जमा करने के बाद सफल बोलीकर्ता को वस्तुओं को हटाने/उठाने के लिए पत्र जारी किए जाएंगे तत्पश्चात सफल बोलीकर्ता को वस्तुओं को ले जाने के लिए अनुमति दी जाएगी।
8. पत्तन संचालन को बिना बाधा पहुँचाने पर पूर्वाह्न 09.00 बजे से अपराह्न 1700 बजे तक किसी भी कार्य दिवस में केवल अपने लागत पर वस्तुओं को हटाने का अनुमति दी जाएगी। केवल इस बोर्ड की प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में वस्तुओं का हटाने का कार्य किया जाना चाहिए। बोलीकर्ता को इस बोर्ड की प्राधिकृत प्रतिनिधि को स्टैक यार्ड से वस्तुओं को हटाने /ले जाने के संबंध में उचित प्रकार से सूचना देना होगा।
9. नीलामी वस्तुओं को हटाने/उठाने की अनुमति के औपचारिक पत्र की तिथि से 15 दिनों के भीतर पूर्ण वस्तुओं को हटा देना चाहिए, ऐसा न करने पर नीलामी वस्तुओं को किसी भी प्रकार का नुकसान होने पर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
10. यदि 15 दिनों के निर्धारित अवधि के भीतर उच्चतम बोलीकर्ता सामग्री को उठाने में असफल होता तो सफल बोलीकर्ता से अनुमति पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिनों के बाद सामग्री उठाने में हुई देरी के लिए भूमि का किराया के रूप में प्रतिदिन परिनिर्धारित नुकसानी रु. 5000/—(रुपये पाँच हजार मात्र) के दर से प्रभार लिया जाएगा बशर्ते अधिकतम 7 दिनों के लिए। देरी के लिए अधिकतम 15 दिन स्वीकार्य होंगे बशर्ते कि कोई अपरिहार्य कारण हो जो बोलीकर्ता के नियंत्रण में न हो। तत्पश्चात बोर्ड द्वारा रोकी गई कुल जमा राशि को बोली जमानत के साथ सरकारी खाते में जब्त कर ली जाएगी।
11. यदि सफल बोलीकर्ता, निबंधन और शर्तों के अनुसार सामग्री को हटाने में चूक करता है तो बोर्ड को, चूककर्ता (सफल बोलीकर्ता) की लागत और जोखिम पर, उसे पुनः विक्रय करने का अधिकार प्राप्त होगा। इस प्रकार नीलामी किए गए सामग्रियों पर सफल बोलीकर्ता का कोई अधिकार नहीं रहेगा।
12. सामग्री की गुणवत्ता, मात्रा और अवस्था के बारे में कोई भी शिकायत पर विचार नहीं किया जाएगा। सामग्री उच्चतर बोलीकर्ता को "जैसे है और जहाँ है" के आधार पर सौंप दिया जाएगा। पत्तन प्रबंध बोर्ड उनके गुणवत्ता तथा उपयोगिता पर जिम्मेदार नहीं होगा।
13. उच्चतम बोली को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अंतिम अधिकार मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पास सुरक्षित है।

14. किसी विवाद के मामले में मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और उसे मानना होगा।
15. उच्चतम बोलीकर्ता को उनके बोली की स्वीकृति होने के बाद परिवहन, लोडिंग/अनलोडिंग तथा परमिट (यदि अपेक्षित है) आदि की व्यवस्था स्वयं करना होगा। बोलीकर्ता को संबंधित प्राधिकारी को, यदि लागू हो, बोली की स्वीकृत राशि के अलावा, स्थानीय कर, बिक्री कर, अधिभार, सेवा कर (शिक्षा उपकर सहित) तथा अन्य कर का भुगतान करना होगा।
16. उच्चतम बोलीकर्ता द्वारा वस्तुओं को उठाने के दौरान पत्तन आधारित संरचना को नुकसान नहीं होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। नुकसान के मामले में बोलीकर्ता जिम्मेदारी होगा तथा बोलीकर्ता द्वारा उसे अपने लागत पर ठीक करना होगा।
17. पत्तन प्रबंध बोर्ड पर अन्य कोई दायित्व नहीं होगा तथा इस संबंध में सभी बाध्यताओं की जिम्मेदारी पूरी तरह से सफल बोलीकर्ता की होगी। इससे सम्बंधित किसी प्रकार के दावे/मुआवजे का भुगतान किए जाने का दायित्व पूरी तरह से सफल बोलीकर्ता की होगी। सफल बोलीकर्ता के उल्लंघन से संबंधित कदाचार के लिए पत्तन प्रबंध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
18. **उपकरण और संयंत्र:** कार्य निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी सामग्री, उपकरण और संयंत्रों, श्रमिकों के लिए सुविधाएं तथा अन्य सभी सेवाओं के लिए ठेकेदार जिम्मेदार होगा। बोलीकर्ता की प्रतिभागिता में यह निहित होगा कि उसने यह सूचना और अन्य सभी अनुबंध दस्तावेज पढ़ ली है तथा सामग्रियों के कार्य क्षेत्र और विनिर्देशन और सामग्रियों की स्थिति और जिस दर पर भंडार, उपकरण और संयंत्र इत्यादि जो उसे पत्तन प्रबंध बोर्ड द्वारा जारी की जाएगी और स्थानीय परिस्थिति और अन्य कारक जो कार्य के निष्पादन से जुड़ी हुई हैं, के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है।
19. **दुर्घटना, सुरक्षा और बीमा:** सुरक्षा कार्य करने वाले व्यक्तियों और सामग्री दोनों की, बीमा की जिम्मेदारी केवल सफल बोलीकर्ता की होगी। किसी की मृत्यु हो जाने पर और सामग्री, सम्पत्ति इत्यादि के नुकसान होने पर और कर्मियों की मृत्यु और सामग्री की हानि की जिम्मेदारी बोलीकर्ता की होगी। कार्य स्थल में या कार्य के निष्पादन के दौरान दुर्घटना हो जाने पर कर्मियों को मुआवजा दिए जाने की पूरी जिम्मेदारी सफल बोलीकर्ता की होगी।

जान या माल की हानि समुद्र या जमीन पर कामगारों, मशीनों और उपकरण की सुरक्षा के लिए पत्तन प्रबंध बोर्ड जिम्मेदार नहीं होगा।
20. बिना कोई कारण बताए किसी या सभी बोली को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार मुख्य पत्तन प्रशासक, पत्तन प्रबंध बोर्ड, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के पास सुरक्षित है।

मुख्य पत्तन प्रशासक